संख्या-499/23-14-2010-73जनरल/2010

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,

इलाहाबाद, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, फैजाबाद, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल बांदा।

2- जिलाधिकारी,

इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराईच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊः दिनाँक 10 मई, 2010

विषयः- सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1337/35-5-2002-8(74)2000-170 दिनांक-19.09.2002 द्वारा निर्गत सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तर-5.2, 5.3, 5.4.2 एवं 7.4 में संशोधन किया गया है।

2- सन्तुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के उपरोक्त प्रस्तरों में संशोधन की प्रतिलिपि संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। यह संशोधन तत्कालिक प्रभाव से लागू होगें। उक्त शासनादेश दिनांक-19.09.2002 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या-499(1)/23-14-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त।
3- अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश।
4- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली हाऊस, बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली।
5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड के जनपद।
7- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
9- निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
11- विशेष कार्याधिकारी सूचना मुख्यमंत्री उ0प्र0 लखनऊ।
12- प्रमुख अभियन्ता (विकास)/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/8
14- उप निदेशक अर्थ एवं संख्या सम्बन्धित मण्डल।
15- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सम्बन्धित जनपद।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन०के०एस० चौहान)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या-499/23-14-2010-73जनरल/10 दिनांक-10 मई, 2010

संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल/बुन्देलखण्ड) निधि से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त में संशोधन

प्रस्तर सं0	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
5.2	निधि के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को राज्यांश एवं जिलांश नाम दो भागों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। राज्यांश से ऐसी परियोजना ही स्वीकृत की जाएगी जिनकी परियोजना लागत रू0 10.00 लाख से अधिक हो। राज्यांश के अन्तर्गत दो या उससे अधिक जनपदों की सम्मिलित रूप से लाभान्वित करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रू. 01 लाख से रू. 10 लाख तक की लागत की परियोजनाऐं जिलांश से स्वीकृत की जाएगी। इण्डिया मार्क-।।। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य रू. 1 लाख की उक्त न्यूनतम सीमा से मुक्त होगा।	निधि के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को राज्यांश एवं जिलांश नाम के दो भागों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। राज्यांश से ऐसी परियोजना ही स्वीकृत की जाएगी जिनकी परियोजना लागत रू. 50 लाख से अधिक हो। राज्यांश के अन्तर्गत वे परियोजनाऐं प्रस्तुत की जाएगी जिनका कियान्वयन जिलांश हेतु सीमित धनराशि रू. 50 लाख से संभव न हो पा रहा हो अर्थात् रू. 01 लाख से 50 लाख तक की लागत की परियोजनाऐं जिलांश से स्वीकृत की जाएगी परन्तु इससे अधिक लागत की परियोजनाऐं राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत हेतु विचार की जाएगी। इण्डिया मार्क-।।। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य रू0 1.00 लाख की उक्त न्यूनतम सीमा से मुक्त होगा।
5.3	निधि के अन्तर्गत जिन कार्यों को नही कराया जा सकता है उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है। उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा समय समय पर अभिज्ञापित जनपद की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों को वरीयता दी जाएगी। मार्ग निर्माण संबंधी कार्य निधियों के राज्यांश से वित्त पोषित किए जाने की अंतिम प्राथमिकता होगी।	निधि के अन्तर्गत जिन कार्यों को नही कराया जा सकता है उनकी सूची परिशिष्ट में दी गयी है। उत्पादन में वृद्धि एवं क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा समय समय पर अभिज्ञापित जनपद की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्यों को वरीयता दी जाएगी। निधियों के अन्तर्गत सेक्टर के आधार पर निर्धारित विभाजन के अनुसार परियोजनाओं की स्वीकृति की जाएगी।
5.4.2	परियोजनाओं के अंतर्गत स्टाफ के लिए पदों का सृजन अनुमन्य नहीं होगा और वाहन का क्रय भी नही किया जाएगा जिससे कालान्तर में शासन पर आयोजनेत्तर/आवर्तक व्यय भार बढ़े। यदि किसी परियोजना में अनुरक्षण भार निहित हो तो योजना पूर्ण होने पर उसके अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों	परियोजनाओं के अंतर्गत स्टाफ के लिए पदों का सृजन अनुमन्य नहीं होगा और वाहन का क्रय भी नही किया जाएगा जिससे कालान्तर में शासन पर आयोजनेत्तर/आवर्तक व्यय भार बढ़े। यदि किसी परियोजना में अनुरक्षण भार निहित हो तो योजना पूर्ण

	के अनुरक्षण का व्यय भार वहन करने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा। इस प्रयोजन हेतु योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते समय राज्यांश के अन्तर्गत नियोजन विभाग तथा जिलांश के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।	होने पर उसके अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण का व्यय भार वहन करने का दायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा। इस प्रयोजन हेतु योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते समय राज्यांश के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग तथा जिलांश के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि, इन परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा अन्य किसी मद में वित्त पोषण न किया गया हो।
7.4	राज्यांश के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाएगी तथा उनके संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जाएगी। परियोजनाओं के आगणन संबंधित विभाग/मण्डलायुक्त द्वारा तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित शासन के नियोजन विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिनका नियमानुसार परीक्षण नियोजन विभाग के अधीन प्रायोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाएगा। योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पश्चात जनपद स्तर पर स्वीकृति योजनाओं के आगणन में कोई परिवर्तन बिना शासन की पूर्व स्वीकृति से नही किया जाएगा।	राज्यांश के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति बजट मैन्यूअल के प्रस्तर 94 की व्यवस्थानुसार यथा स्थिति मा0 मंत्री जी/ मा0 वित्त मंत्री जी/ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाएगी तथा उनके संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जाएगी। परियोजनाओं के आगणन संबंधित विभाग/मण्डलायुक्त द्वारा तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित शासन के लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिनका नियमानुसार परीक्षण नियोजन विभाग के अधीन प्रायोजन रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाएगा। योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पश्चात जनपद स्तर पर स्वीकृति योजनाओं के आगणन में कोई परिवर्तन बिना शासन की पूर्व स्वीकृति से नही किया जाएगा।

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव